FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत: उपखण्ड अधिकारी मुकाम: बयाना

बनाम: रघुराम

किस्त मुकदमा: अगस्त 2011 नं: 1 सन्: 2011

प्रा0 धा0 2012 RT Act

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीज में जारी हुए
10/10/19	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अपील को गौर से नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 11/11/19 को पेश हो।	
11/11/19	एड-पार्टी उपस्थित। अपील कोर्ट की आपत्ति नहीं। काश्त प्रार्थी एस0 की अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थी एस0 को अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13/11/19 को पेश हो।	
13/11/19	एड-पार्टी उप0 सम्भाग के कारण आदेश नहीं लिखाकर नोटिस तलब पत्रावली दिनांक 26/11/19 को पेश हो।	
26/11/19	एड. अपील मर्यादानुसार 4/12/19 को पेश हो।	
4/12/19	एस0 प्रार्थी उपस्थित। वाद में प्रतिवादी 02 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है अतः प्रार्थना पत्र में भी अपील 02 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/6/24	अतरगाल पालत मालकान पीठासीन अधिकारी .....है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/8 को पेश हो 24 रीडर उप/एस.डी.एम. दीगर मालो मोकदमा 30/8 पीठासीन अधिकारी .....है पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/11 को पेश हो 24 रीडर उप/एस.डी.एम.	
19/11/24	प्रकरण पेश हुआ पक्षकारों व स्थाई प्राधिकारी को नोटिस जारी होना है। बार-2 अवसर लगाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं आए। न्यायालय प्रार्थना पत्र पक्षकारों व स्थाई प्राधिकारी की अनुपस्थिति के कारण बिना पेश करे के खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल होकर नम्बर पूरा कर दी जाए। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)	